न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 12 सन 2018
अनवान :–

1. बेअन्त सिह पुत्र दिलावर सिह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर

बनाम **वादी**

1. बुन्टासिह पुत्र दिलावर सिह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर (पंजाब)

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.09.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 4 बीकेके के प0न0 299/437(59) मी किला न0 11 ता 14/प्रत्येक 0.253हैक 15/0.0890हैक , 16/0.1520हैक , 17 ता 24/प्रत्येक 0.253हैक , 25/0.2150हैक , प0न0 298/437(60) किला न0 1/0.2280 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/0.2270 ,5/0.2020 ,6/0.2270 , 7 ता 12/प्रत्येक 0.2530हैक 13/1 की 0.1270हैक प0न0 0 मु0न0 71/36 किला न0 0/0.1770हैक गै0मु0खाला प0न0 0 मु0न074/20 किला न0 0/0.1130हैक गै0मु0रास्ता कुल 6.7670हैक भूमि वादी व प्रतिवादी की निलामी में खरीदशुदा भूमि है जो अपने बडे भाई के नाम से बोली लगाई गई थी जो वर्तमान में वादी के बडे भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है निलामी के समय से ही दोनो भाई बहिब काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि दोनो भाईयों ने निलामी में खरीद की थी किन्तु बोली एक आदमी के नाम से ही लगाई जा सकती थी इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बोली लगाई जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद भूमि दर्ज हो गई है निलामी में खरीद की गई भूमि दोनो भाईयों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो की बहिब हक हिस्सा की भूमि है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दोनो भाईयों के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिब दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी का बडा भाई है तहसील राजस्व लेखाकार के सेल रजिस्टर के अनुसार वाद भूमि निलामी में खरीद की गई है वादी

का कथन है कि वाद भूमि राज्य सरकार से निलामी में खरीद की गई है राज्य सरकार के नियमों के अनुसार निलामी बोली एक ही आदमी लगा सकता था इसलिये वादी प्रतिवादी दोनो भाईयों की और से वादी के बडे भाई प्रतिवादी संख्या 1 ने निलामी में भाग लिया जाकर वाद भूमि खरीद की थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दी जिसे दोनो भाईयों वादी एवं प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादी के वाद /कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि दोनो भाईयों के द्वारा निलामी में खरीद की थी जिसे दोनो भाईयों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके के प0न0 299/437(59) मी किला न0 11 ता 14/प्रत्येक 0.253हैक 15/0.0890हैक , 16/0.1520हैक , 17 ता 24/प्रत्येक 0.253हैक , 25/0.2150हैक , प0न0 298/437(60) किला न0 1/0.2280 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/0.2270 ,5/0.2020 ,6/0.2270 , 7 ता 12/प्रत्येक 0.2530हैक 13/1 की 0.1270हैक प0न0 0 मु0न0 71/36 किला न0 0/0.1770हैक गै0मु0खाला प0न0 0 मु0न074/20 किला न0 0/0.1130हैक गै0मु0रास्ता कुल 6.7670हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)